कार्यालय परिपत्र सं० 14/2018 दिनांक 02-07-2018

पत्र संख्या–कमि0वा0क0 (निरीक्षण अनुभाग)/ 2018–19 // 315 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(निरीक्षण अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 30, जून, 2018

समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

जी०एस०टी० लागू होने के उपरान्त छोटे व्यापारियों की सुविधा हेतु एक करोड़ तक के टर्नओवर के व्यापारियों के लिए समाधान योजना लागू की गयी है, किन्तु समीक्षा पर पाया गया कि समाधान योजना के 15 % से अधिक व्यापारियों द्वारा त्रैमासिक रूपपत्र दाखिल नहीं किये गए हैं। समाधान योजना से बाहर के 15 से 20 प्रतिशत व्यापारियों द्वारा भी रिटर्न दाखिल नहीं किये जा रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि छोटे व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने में कदाचित तकनीकी समस्याएं आ रही हैं।

उक्त के अतिरिक्त हेल्पडेस्क से प्राप्त सूचनाओं एवं अन्य श्रोतों से यह भी संज्ञान में आया है कि छोटे व्यापारियों को ई–वे बिल डाउनलोड करने तथा इससे सम्बन्धित नियमों की जानकारी दिये जाने की आवश्यकता है। अतः व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा छोटे व्यापारियों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया जाए और उनकी समस्याओं का निराकरण कराया जाए तथा उनकी ई–मेल आई0डी0, फोन नम्बर आदि व्यक्तिगत सूचनाएं अपडेट करायी जाएं।

दिनांक 30.06.2018 को जी0एस0टी0 क्रियान्वयन का एक वर्ष पूर्ण हो रहा है। अतः एक जुलाई 2018 से 31 अगस्त, 2018 तक विभाग द्वारा **"वाणिज्य कर विभाग आप के द्वार"** कार्यक्रम आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस आयोजन में निम्नवत् कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे

1– सभी छोटी इकाईयों (जिनका टर्नओवर रु0 एक करोड़ से कम है) के व्यापार स्थल पर खण्ड में कार्यरत वाणिज्य कर अधिकारी एवं असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा स्वयं भ्रमण किया जाएगा।

2– वाणिज्य कर अधिकारी एवं असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा प्रतिदिन कम–से–कम 10 इकाईयों के कार्यस्थल का भ्रमण किया जाएगा तथा भ्रमण के दौरान सम्बन्धित इकाई का टेलीफोन नम्बर व ई–मेल आई0डी0 अपडेट किया जाएगा, जिससे कि व्यापारियों को अधिक–से–अधिक सूचना शीघ्रता से उपलब्ध करायी जा सके।

3– वाणिज्य कर अधिकारी एवं असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा जिन इकाईयों का भ्रमण किया जाएगा, उनका फोटो लेकर भी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

4– भ्रमण के दौरान व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने, ई–वे बिल डाउनलोड करने, पंजीयन में दी गयी सूचनाओं को संशोधित करने अथवा जी0एस0टी0 पोर्टल पर अन्य किसी

कार्य में कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो उनका निदान कराया जाएगा और जिन समस्याओं का तत्काल निराकरण सम्भव न हो, उन्हें मुख्यालय के संज्ञान में लाते हुए निराकरण कराया जाएगा।

5– जिन खण्डों में ऐसी इकाईयों की संख्या–500 से अधिक है वहां एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 द्वारा पंजीयन प्रकोष्ठ में तैनात अधिकारियों को ऐसे खण्डों के व्यापारियों से सम्पर्क हेतु अधिकृत करते हुए निर्धारित समयावधि में समस्त इकाईयों से सम्पर्क किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

6– रिटर्न फाइलिंग व पोर्टल पर आ रही अन्य समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक सम्भाग में पाक्षिक रूप से कम–से–कम एक शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए अभी से कार्यक्रम निर्धारित कर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा एवं मुख्यालय को सूचित किया जाएगा।

विभाग के समस्त अधिकारियों द्वारा उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पूर्ण निष्ठा से कार्य किया जाएगा और इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में यदि व्यापारियों से अथवा अधिकारियों सें कोई सुझाव प्राप्त होता है तो उसे तत्काल मुख्यालय के जी0एस0टी0 अनुभाग के संज्ञान में लाया जाएगा।

30/6/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।</u>

अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर की सेवा में सूचनार्थ।

30/6/18

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।